तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित– श्री ओ.एल.दवे, अभिभाषक अपीलांट श्री एस.पी.सिंह, श्री बुधराज प्रजापति, अभि0 रेस्पो0 **दिनांक : 12–7–2022** **निर्णय** यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–2–2005 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट/प्रार्थी ने एक पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 2–8–99 को जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक राज/82/2620–2625 दिनांक 31–3–83 के द्वारा ग्राम गोटन के खसरा नंबर 1919 रकबा 105बीघा, 674 रकबा 23–10बीघा, 1122 रकबा 9 बीघा कुल 137 बीघा 18 बिस्वा भमि गै0मु0 से खारिज कर पुराने काबिजों को नियमन एवं 20 सूची कार्यक्रम के लिए आबादी हेतु सेट अपार्ट किये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया। यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गोटन के सरपंच ने पंचों से मिलावट कर अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्ताव पारित कर आबादी विस्तार हेतु आवश्यकता न होते हुए भी लाखों रूपए की भूमि के अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को पट्टे जारी कर दिए। उक्त पट्टों को निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो स्वीकार की जाकर तमाम पट्टे जिलाधीश नागौर द्वारा निरस्त कर दिये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गये। उक्त पट्टे निरस्त होने पर प्रार्थी व अन्य लोगों यह समझा कि भूमि के पट्टे निरस्त होने पर भूमि स्वतः ही निरस्त हो जावेगी। मगर सही ढंग से कानूनी राय लेने पर ज्ञात हुआ कि जिन लोगों के पट्टे रद्द हुए हैं उससे स्वतः ही पंचायत को किया गया आवंटन रद्द नहीं हुआ है। इसलिए ग्राम पंचायत के पक्ष में किया गया आवंटन रद्द किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए मयाद को क्षमा किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे। इस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला कलक्टर नागौर ने आदेश दिनांक 24–8–2004 द्वारा प्रार्थी का पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कलक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 31–3–83 को वापस लिये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पोन्डेन्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 4–2–2005 द्वारा गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर ली गई। उनका तर्क है कि तत्कालीन सरपंच गोटन ने अपने कुटुम्ब रिश्तेदारों, मित्रों को नाजायज फायदा दिलाने की नीयत से ग्राम पंचायत को आबादी हेतु भूमि की जरूरत न होते हुए भी भूमि का प्रस्ताव भिजवाया, जिस पर आधारित होकर आवंटन किये गये और अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि को निशुल्क आवंटन किये गये जो राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना होने से इस आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स एवं अपीलें हुई जिनके द्वारा आवंटन निरस्त किये गये किन्तु आवंटन जिस मूल आदेश से किया गया था वह यथावत रहने से विवादित भूमि ग्राम पंचायत के पास रह जाने से मूल आदेश चेलेन्ज करना आवश्यक हो गया। वैसे भी इस प्रकार के गैरकानूनी आदेश के लिए कोई मयाद नहीं होती है, इस तथ्य को नजरअदांज कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय दिनांक 4–2–2005 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 1983 में वादग्रस्त आराजी आबादी विस्तार के लिए पंचायत को आवंटन की गई थी। पंचायत द्वारा दुकानें, आबादी विस्तार, बस स्टेण्ड, जे.के.सीमेन्ट इत्यादि को इस भूमि का आवंटन किया गया था। जे.के.सीमेन्ट की भूमि का आवंटन तो जिला कलक्टर व राज्य सरकार से अनुमति लेकर किया गया था। मौके पर अब भी बहुत से व्यक्तियों का कब्जा है, मौके पर भूमि खाली नहीं है तथा आवंटन के वक्त ही सभी को इसकी जानकारी हो गई थी। जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद बाहर था तथा देरी को माफ करने का कोई आधार नहीं है। जिला कलक्टर आबादी विस्तार हेतु भूमि सेट–अपार्ट करने हेतु सक्षम अधिकारी है। फिर यह आदेश किस आधार पर निरस्त किया गया, इसका कोई उल्लेख जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 24–8–2004 में नहीं किया। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2004 पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से उसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–2–2005 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट/प्रार्थी हरदेव राम द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर नागौर ने आदेश दिनांक 24–8–2004 द्वारा स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक राम/82/2620–25 दिनांक 31–3–83 को वापस लिये जाने का आदेश दिया है। जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलक्टर नागौर के उक्त आदेश दिनांक 24–8–2004 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपीलांट / प्रार्थी हरदेवाराम की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को मयाद बाहर होने एवं रिव्यू का कोई उचित आधार नहीं होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट की अपील को अपने निर्णय दिनांक 4–2–2005 द्वारा स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 24–8–2004 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 एवं 4 में यह अंकित किया है कि– ''पत्रावली पर जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 27–1–93 एवं 2–2–96 की प्रति भी उपलब्ध है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को इस भूमि के आवंटन के बारे में जानकारी थी। पुनरार्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 30–6–99 को पेश किया है। इससे स्पष्ट है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र 16 वर्ष बाद पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश में कोई अनियमितता नहीं बतायी है। जबकि पंचायत द्वारा गलत पट्‌टे जारी करने बाबत उज्र किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वर्ष 1993 में हरदेव बनाम प्रशासन ग्राम पंचायत अपर कलेक्टर के न्यायालय में अपील पेश की थी। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को भी इस भूमि के आवंटन बाबत जानकारी थी। अतः 16 वर्ष की देरी को माफ करने का उचित कारण पत्रावली पर नहीं है एवं न ही रेस्पोडेन्ट हित बद्व पक्षकार होने बाबत कोई रेकर्ड पत्रावली पर है। इसके अतिरिक्त जब तक किसी आदेश में On Face of record कोई त्रुटि नहीं है तो कोई न्यायालय अपने आदेश को रिव्यू के जर्ये निरस्त नहीं कर सकता। जिसका समर्थन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों से होता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट है कि मौके पर आबादी बसी हुई है इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष प्रतिपादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करना कि पंचायत को आबादी के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है उचित नहीं है।'' अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त अभिमत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–2–2005 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	